


ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील
25/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जानें के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	

